स्विफ्ट कार व एम्बुलेंस की टक्कर में मरीज समेत तीन जनों की मौत

कार सवार दो जनों की मौत, एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी ने भी सीकर में दम तोड़ा

सुजानगढ़, (निसं)। गत रात्रि को सालासर रोड पर लोढसर गांव के बस स्टैंड के पास स्विफ्ट कार व एम्बुलेंस की टक्कर में कार में सवार दो जनों की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी ने भी सीकर में दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही निजी एम्बुलेंस और सामने से आ रही स्विफ्ट कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गयी, जिसमें कार चालक जाकिर (32) पुत्र रामू खान मिरासी, रतनगढ़ की मौके पर ही मौत हो गयी। कार में सवार सलीम खान (60) पुत्र पन्ने खान निवासी बालेरा तहसील बीदासर भी गंभीर घायल हो गया, जिसको सीकर रैफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी। इसी प्रकार एम्बुलेंस चालक मनीष पारीक, एम्बुलेंस के सवार योगेश शर्मा, दिनेश शर्मा, कमल शर्मा निवासी सुजानगढ़ घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक जाकिर खां के भाई अलताफ खां ने सदर थाने में एम्बुलेंस चालक पर गफलत व लापरवाही से वाहन चलाकर कार के टक्कर मारने का मामला दर्ज कराया है।

हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस व टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, निजी एम्बुलेंस चालक शंकर बिजारणिया, भागीरथ जाट, दामोदर शर्मा लोढसर, आबसर सरपंच गिरधारी लाल व ग्रामीणों की सहायता से घायलों तथा मृतक को सुजानगढ़ अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं एम्बुलेंस से सीकर ले जा रहे मरीज महावीर प्रसाद (60) पुत्र बेगराज शर्मा, निवासी ठरडा रोड सुजानगढ़ की सीकर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक मनीष को भी अन्यत्र रैफर किया गया। सदर थाने के एएसआई तनसुख राम मौके पर पहुंचे तथा यातायात को सुचारु कराया। शुक्रवार सुबह एसआई गीता रानी सुजानगढ़ अस्पताल पहुंची तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

सुजानगढ़ के लोढसर गांव के पास हुए हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गये।

- सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही थी निजी एम्बुलेंस, लोढसर गांव के पास हुआ हादसा

15 साल बाद खुला रास्ता

श्रीमाधोपुर। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा शुक्रवार को आपसी समझाईश से श्रीमाधोपुर तहसील में के दिवराला पटवार मंडल के खातेदारों के मध्य 15 साल पुराने रास्ते व कब्जे संबंधित जमीनी विवाद को निपटा दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि पटवार मंडल दिवराला में ग्यारसा यादव व रामपाल यादव के बीच 60 बीघा पैतृक भूमि के विभाजन, कब्जे व रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय व पुलिस थाने में फौजदारी प्रकरण चल रहे थे।

स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में एक पक्ष द्वारा विवादित भूमि के सीमा ज्ञान व कब्जे दिलाने को लेकर परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर से मिले निर्देशों की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा, भू अभिलेख निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, पटवारी हल्का दिवराला महेश शर्मा, पटवारी हल्का सिहोडी राजदीप यादव व पटवारी हल्का जुगराजपुरा बलबीर सिंह की संयुक्त राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर खातेदारों की समझाइश कर विवादित भूमि व रास्ते का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कर खातेदारों को अपने अपने हिस्से अनुसार पैतृक भूमि का कब्जा दिलाकर 15 साल से बंजर पड़ी भूमि की ट्रैक्टर से फसल जुताई करवाई गई।

अवैध बजरी परिवहन की रैकी का आरोप

- चार गिरफ्तार एवं बोलेरो-बाइक जब्त

बौंली-बामनवास, (निसं)। बाटोदा थाना पुलिस ने अवैध बजरी की रैकी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर रैकी के दौरान काम में ली गई एक बोलेरो व एक बाइक को जब्त किया है।

बाटोदा थाना प्रभारी भरत सिंह ने बताया कि बामनवास सीओ सीताराम मीणा के सुपरविजन में बाटोदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक भरत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल सहायक उप निरीक्षक लखीराम, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह व शत्रुघन ने शुक्रवार को क्षेत्र की बनास नदी से अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की जीप व जाप्ते की लोकेशन को लेकर रैकी करने वाले विक्की उर्फ उधम सिंह गुर्जर निवासी भिनौरी थाना बाटोदा, शेर सिंह गुर्जर निवासी भिनौरी थाना बाटोदा एवं विष्णु मीणा निवासी मीनापाडा थाना सदर गंगापुर सिटी व बाबूलाल मीणा निवासी मीनापाडा थाना सदर गंगापुर सिटी को गिरफ्तार कर एक बोलेरो व एक बाइक को कागजात के अभाव में जब्त किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री-बजट बैठक हुई

- बैठक में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उत्तराखण्ड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू सहित अन्य राज्यों के वित्तमंत्री मौजूद रहे

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर शहर की एक होटल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री-बजट बैठक हुई। बैठक में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उत्तराखण्ड के वित्त, शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू, पंजाब के वित्तमंत्री हरपालसिंह छीमा सहित अन्य राज्यों के वित्तमंत्री मौजूद रहे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वागत किया :- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 55 वीं जीएसटी काउंन्सिल बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, समाजसेवी विक्रमसिंह नाचना, पवनसिंह भाटी, अरुण पुरोहित भी उपस्थित थे एवं उन्होंने भी स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर वित्तमंत्री का जिला कलेक्टर प्रतापसिंह ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने उनकी अगवानी की।

दिया कुमारी की सिविल एयरपोर्ट पर अगवानी की :- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का सिविल एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री का जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने एयरपोर्ट पर गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक अभिनन्दन किया। यहां पर समाजसेवी विक्रमसिंह नाचना, अरुण पुरोहित, सवाईसिंह गोगली ने भी दिया कुमारी का स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री के सिविल एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर प्रतापसिंह एवं पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। उपमुख्यमंत्री का होटल पहुंचने पर वित्त सचिव (राजस्व) डॉ. रवि कुमार सूरपुर, संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

वित्तमंत्री सीतारमण की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अगवानी की।

अज्ञात की मौत

सादुलपुर, (निसं)। चूरू सड़क मार्ग पर स्थित डीएसपी कार्यालय राजगढ़ के नजदीक सादुलपुर चूरू रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने के कारण एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण किया तथा अज्ञात मृतक के शव को शिनाख्तगी की कार्यवाही के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ के मोर्चरी रूम में रखवाने की कार्रवाई की है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह झाझडिया ने बताया कि मनीष कुमार नाई निवासी बुंगी हाल रेलवे कार्मिक ने मामला दर्ज करवा कर बताया कि 19 दिसंबर को गुरूवार देर शाम को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त कार्रवाई नहीं हो सकी है तथा निकटवर्ती संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देकर शिनाख्त कार्रवाई के प्रयास किया जा रहे हैं।

जुआ खेलते दो दर्जन सटोरिये गिरफ्तार

7.61 लाख से अधिक की राशि व पांच वाहन जब्त किए

निवाई, (निसं)। बरोनी थानान्तर्गत गांव करीरिया के समीप एक फार्म हाउस पर बरोनी थाना पुलिस व डीएसटी टीम टोंक ने छापा मारकर जुआ खेलने के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से 7.61 लाख से अधिक की राशि व पांच वाहन भी जब्त किए हैं।

बरोनी थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव करीरिया के समीप एक फार्म हाउस पर जुआ खेलने के आरोप में प्रेम कुमार नाई निवासी दुगोली थाना जायल जिला नागौर, नौशाद खान निवासी आजाद नगर जयपुर, इरफान खान निवासी उदयमंदिर थाना नागौरी गेट जिला जोधपुर, सरदारमल जैन निवासी थावला जिला नागौर, मुकद्दर खां निवासी नागौरी गेट जोधपुर, मुकेश मीणा निवासी पीपलदा थाना बौंली सवाई माधोपुर, सुरेश कुमार शर्मा व पवन सोनी निवासी निम्बी जोदन जिला नागौर, इब्राहीम खां निवासी गंगापुर सीटी, इंसाफ खान निवासी रायका का बाग जोधपुर, पप्पू बारेडा, राजेन्द्र कोठारी निवासी करधनी जिला जयपुर, ऋषिकेश मीणा निवासी कुंडेरा जिला सवाई माधोपुर, रितेश जैन निवासी जोहरी बाजार जयपुर, दिनेश मेघवाल निवासी रोल जिला नागौर, पिंटू मीणा निवासी बोल थाना टोडाभीम जिला गंगापुर सीटी, राजेन्द्र माली निवासी शाहपुरा जिला ब्यावर, हनुमान मीणा निवासी बारेड़ा जिला टोंक, लुकमान खां निवासी सलेमपुर जिला करोली, गणपत सोनी निवासी गुगेरीयाली जिला नागौर, असरार खान निवासी सलेमपुर जिला करौली, युसूफ खां निवासी उदय मंदिर के पीछे जिला जोधपुर व अमराराम मेघवाल निवासी खियाला जिला नागौर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों से मौके से राशि व पांच वाहन भी जब्त किए हैं।

बरोनी थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किये।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग) 28 से

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का विषयवार आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 21 दिसंबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 25 दिसंबर 2024 को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।

राजस्थान सरकार
वन विभाग
कार्यालय उपवन संरक्षक, करौली (राज.)
(गदका की चौकी करौली Phone & Fax No. 07464-297003
Email: def.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

Notice Inviting Bid

Bid for Boundry Wall Construction in Range Karauli and Sapotra are invited from interested bidders. other particulars of bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and http://www.eproc.rajasthan.gov.in of the state.

क्र. सं.	कार्य का विवरण	यू.बी.एन.नम्बर	लागत लाखों में	जारी दिनांक	जमा व खोलने की दिनांक
1	दीवार निर्माण कार्य	UBN No FOR2425WSRC02823	29.78	12.12.2024	23.12.2024 व 24.12.2024
2	दीवार निर्माण कार्य	UBN No FOR2425WSRC02824	29.78	12.12.2024	23.12.2024 व 24.12.2024

(सुमित बंसल)
उप वन संरक्षक
करौली
DIPR/C/13036/2024

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर
दूरभाष 0141–2565087/88/89 ई–मेल/डाक : jd.dev.rswc@rajasthan.gov.in
क्रमांक: HO/PD/SSLL Payment 29%/2024-25/ 8818 दिनांक : 19.12.2024

नीलामी सूचना

राज्य भण्डारगृह खाजूवाला (अनूपगढ) पर संग्रहित वर्षा प्रभावित कृषि जिन्स सरसों एवं चना की खुली बोली द्वारा नीलामी "जहां है, जैसी है" के आधार पर राज्य भण्डारगृह खाजूवाला में दिनांक 30.12.2024 को प्रातः 11:30 बजे की जावेगी।

नीलामी सामग्री का विवरण

क्र.सं.	जिन्स का नाम	खरीद वर्ष	नग संख्या (कट्टे)	अनुमानित वजन (क्विंटल)
1	सरसों	रबी–2023	3800	1897.78
2	चना	रबी–2023	39	19.48

उपरोक्त नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्ते निगम की वेबसाईट https://agriculture.rajasthan.gov.in एवं https://agriculture.rajasthan.gov.in/rswc पर देखी जा सकती है।
राज.संवाद/सी/24/9395 संयुक्त निदेशक (विकास)

राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, केकड़ी
ई-मेल आई.डी.-sewcdckekri@gmail, sewdsc.kekri@rajasthan.gov.in
क्रमांक-276 दिनांक-15.12.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 04,05,06,07, 08/2024-25/केकड़ी, सरवाड़,भिनाय (NIB Code : WSC2425A0419 से WSC2425A0423)

राजस्थान राज्यपाल महोदय की आर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहात जिले कि विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 5 पेकेज में वर्णित कार्यो का डिफेक्ट लाईबिलीटी अवधि सहित रू. 72.57 लाख, रू. 134.76 लाख रू.29.21 लाख एवं रू.136.74 लाख एवं रू. 40.99 लाख सम्पादन कराने के लिये उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार के विभागों/अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों से https://eproc.rajasthan.gov.in पर ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाऐं दिनांक 16.12.24 कसे 30.12.2024 तक आमंत्रिक की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्ते उक्त पोर्टल एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर UBN:WSC2425WSOB00854 से WSC2425WSOB00858 तक देखीं जा सकती है।
परियोजना प्रबंधक एवं
अधीक्षण अभियंता,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, केकड़ी
DIPR/C/13085/2024

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय
कार्यालय- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जयपुर
Office of the Principal & Controller, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)
क्रमांक :- आर.यू.एच.एस.-सी.एम.एस./पैरामेडिकल/2024-25/7766 दिनांक :- 19/12/2024

RUHS-CMS जयपुर में RCAPMC- 2024 के द्वितीय चरण के पश्चात रिक्त रही सीटों के लिए आवेदन पत्र

RCAPMC 2024 के निर्देशानुसार प्रशिक्षण सत्र 2024–25 में द्वितीय चरण की काउन्सलिंग के पश्चात् पैरोमेडिकल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त रही सीटों (B.Sc.MLT-02 & B.Opht-05) पर RUHS-CMS में दिनांक 30.12.2024 को ऑपन राउण्ड के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जावेगी। योग्य अभ्यर्थी दिनांक 26/12/2024 तक दोपहर 04:00 PM बजे तक आवेदन करने हेतु महाविद्यालय वेबसाइट www.ruhscms.org पर दिए गए आवेदन पत्र को भर मय उल्लेखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। समस्त अग्रिम आवश्यक निर्देशों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट www.ruhscms.org का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
राज.संवाद/सी/24/9338

कार्यालय नगर पालिका खाजूवाला जिला-बीकानेर (राज.)
क्रमांकः– न.पा.खा/निविदा/निर्माण/2024–25/1350 दिनांकः– 19.12.2024

–: ई-निविदा सूचना 04/2024–25 :–

नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य नियमानुसार पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित विस्तृत विवरण व जानकारी वेबसाईट WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN व WWW.EPROC.RAJASTHAN.GOV.IN पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

S.No.	UBN No
1	DLB2425WSOB13509
2	DLB2425WSOB13510

क्र. सं.	निविदा ऑनलाईन डाउनलोड व अपलोड करने की दिनांक	निविदा भौतिक प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक
1	दिनांक 19.12.2024 को सायं 06:00 बजे से दिनांक 30.12.2024 सायं 06:00 बजे तक	दिनांक 31.12.2024 को दोपहर 12:00 बजें	दिनांक 01.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे से लगातार

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खाजूवाला
राज.संवाद/सी/24/9343

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, 16वां खण्ड, इगानप बीकानेर
क्रमांक 2755 दिनांक 16-12-24

OFFICE ORDER

इस कार्यालय की निविदा सं 10 वर्ष 2024-25 जो कि दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त कर दिनांक 26.12.2024 को खोली जानी थी। उक्त निविदा में क्रम संख्या 08 पर अंकित कार्य अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।
(दीपाकर शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता,
16वां खण्ड इगानप
बीकानेर
DIPR/C/13246/2024

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक निदे/ अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri-XVIII)/2024/ ई-09120

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमवाली, 2017 के अध्याय-III क तहत विभाग के अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टों के आंवटन के लिए निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व गांव	प्लॉटो की संख्या
भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	खटवाड़ा व मालीखेड़ा	1
		खटवाड़ा व भरलियां	1
		मोई, नीलकीखेती	1
		मोई, गोपालपुरा	1
		प्रतापगढ़ ,नील की खेड़ी, मुकन्दपुरा	1
		जालियां, रलायता व बिलियां	1
		गोपालपुरा,जालियां, पदमपुरा	1
		बिलियां, भवानी सिंह जी का खेड़ा नन्दराय, पंडेरी	1
	सवाईपुर	गेगा को खेड़ी	2
भीलवाड़ा/ शाहपुरा	मांण्डलगढ़ / कोटड़ी	बिलियां,भवानी सिंह जी को खेड़ा नन्दराय, पंडेरी	1
		हरिसिंह जी का खेड़ा पंडोरी	1
योग			12

विशेष नोटः-
1 प्लॉटो का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यदि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबासइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।
(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक
DIPR/C/13243/2024

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक निदे/ अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri-XVIII)/2024/ ई-09507

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमवाली, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टों के आंवटन के लिए निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व गांव	प्लॉटो की संख्या
शाहपुर	जहाजपुर	केशरपुर,भरणीकलां	1
		रावतखेड़ा, शक्करपुरा	1
भीलवाड़ा	हमीरगढ़	खेराबाद व कान्याखेड़ा	2
		बरड़ोद व खेतहजारियां	1
		मोहनपुर,भेसाकुण्डल	1
		भेसाकुण्डल	1
		जवसियां,सायला व बरड़ोद	1
		गुरवारड़ी	1
	सवाईपुर	करेड़, भाकलियां, सोपुरा	1
		अमरतियां, गेन्दलियां, करेड़	1
भीलवाड़ा/ ब्यावर	हुरडा/ विजयनगर	हुरडा सेजा नगर	1
योग			12

विशेष नोटः-
1 प्लॉटो का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यदि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबासइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।
(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक
DIPR/C/13244/2024

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
आबकारी भवन 2-गुानियावाला,पंचवटी, उदयपुर-313001
क्रमांक-F.32(b)(1) (AP)EX/L/2024-25-03000 part(6)/1372
दिनांक: 20.12.2024

पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचनाः-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पडत रही कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 21.12.2024 दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 24.12.2024 दोपहर 3.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 24.12.2024 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय।

ई-निविदा में भाग लेने की शर्ते-
1. यह निविदा वेबसाईट https:// www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट https:// excise.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं बेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
2. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाईट https:// excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकान का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ प्रक्रिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियां उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी –

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपय में)	राजकोष लेखा मद
1	RISL की प्रकिया/ पंजीकरण शुल्क	रू. 2000/-	8658-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार रू. 10,000/- से लेकर रू.20,000 तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रकिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रू. एक रूपया जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान पृथक से राजकोष में मद 0039-00-501-01-00 मे जाम करवाया जा सकता है।
4. अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होगें।
5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
6. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
7. मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रारूप अनुज्ञापत्र इत्यादि https://excise.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भाँति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. ई-निविदा के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।
9. ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

UBN-EXC2425GLOB00166
(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान
DIPR/C/13316/2024